छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक 18

दिनांक 18/11/2019

विषयः— छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की चिन्हित योजनाओं में निर्मित रिक्त आवासीय/व्यावसायिक संपदा के मूल्य पर छूट देकर विक्रय किये जाने बाबत्।

---***---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 61 वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 07/11/2019 के पद संख्या क्रमांक 12 के पारित संकल्प क्रमांक 1776/12/61/11/2019 द्वारा संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मिति से निर्णय लेते हुए मण्डल की चिन्हित निर्मित रिक्त आवासीय एवं व्यावसायिक संपदा की मूल्यों में छूट प्रदान कर विक्रय मूल्य एवं व्यावसायिक संपदा का ऑफसेट मूल्य निर्धारित किये जाने हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित कर मंत्रिमण्डल से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

उक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ3-07/2019/32 दिनांक 18.11.2019 द्वारा प्राप्त अनुमोदन अनुसार मण्डल की रिक्त अविक्रित आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के विक्रय/ऑफसेट मूल्य का निर्धारण निम्नानुसार छूट प्रदान करते हुए आबंटन/विक्रय की कार्यवाही की जाए :—

1. निर्मित रिक्त आवासीय/व्यावसायिक भवन जो कि 01 से 03 वर्ष तक अविक्रित है, के वर्तमान मूल्य में (अन्य प्रभार एवं व्यय छोड़कर) 15 प्रतिशत की दर।
2. निर्मित रिक्त आवासीय/व्यावसायिक भवन जो 03 से अधिक वर्ष से अविक्रित है, के वर्तमान मूल्य में (अन्य प्रभार एवं व्यय छोड़कर) 20 प्रतिशत की दर।
3. उपरोक्त बिन्दु 01 एवं 02 अनुसार 15 एवं 20 प्रतिशत की दर से छूट पश्चात् जिन आवासीय/व्यावसायिक भवन का मूल्य (अन्य प्रभार एवं व्यय छोड़कर) उनके प्रारंभिक मूल्य (अन्य प्रभार एवं व्यय छोड़कर) से कम हो रहा हो ऐसे भवनों का विक्रय मूल्य/ऑफसेट मूल्य उनके प्रारंभिक मूल्य (अन्य प्रभार एवं व्यय छोड़कर) के समतुल्य दर से।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील होगा। समस्त कार्यपालन अभियंता एवं संपदा अधिकारी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि भवनों के छूट पश्चात् विज्ञापित मूल्य में अन्य प्रभार एवं व्यय जैसे—सेवाकर, भू—भाटक, कार्नर एवं बेटर लोकेशन चार्जेस, भू—संधारण व्यय, कॉमन सर्विस चार्जेस एवं अन्य प्रभार जोड़कर आबंटन आदेश जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर

कमशः—02

Scanned by CamScanner

पृ.क्र.2/00/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/19 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18/11/2019

प्रतिलिपिः–

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ।
3. स्टॉफ ऑफिसर, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
4. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)।
5. अपर आयुक्त,(जे/व्ही/पी) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
7. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
8. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
9. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त–रायपुर/वृत्त–नवा रायपुर अटल नगर/दुर्ग/बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–01,02,03,04 रायपुर/राज. परिसंभाग–1,2,नवा रायपुर/संभाग–दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ/धमतरी/कवर्धा/महासमुन्द/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा/कोरिया की ओर सूचनार्थ।
11. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग–01,02,03,04,05 रायपुर/राज. परिसंभाग–1,2,रायपुर/संभाग–दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ/धमतरी/कवर्धा/महासमुन्द/जगदलपुर/कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा/कोरिया की ओर सूचनार्थ।
12. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
13. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर

Scanned by CamScanner